


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## आदेश

इस कार्यालय के सेवानिवृत्ति आदेश समसंख्यक दिनांक 09.03.2018, 23.05.2018 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है-

क्रम	नाम	पद एवं पदस्थापन स्थान राउमावि / राबाउमावि	संशोधन
01	सुभाष चन्द्र यादव	व्याख्याता-वाणिज्य, लूणकरणसर-बीकानेर	क्रम संख्या 26 पर नाम सुभाष चन्द्र के स्थान पर सुभाष चन्द्र यादव संशोधित पढा जावें।
02	भीमसिंह राठौड़	व्याख्याता-इतिहास, आरंग- शिव- बाड़मेर	क्रम संख्या 19 पर नाम भीमसिंह के स्थान पर भीमसिंह राठौड़ संशोधित पढा जावें।
03	कन्हैया लाल	व्याख्याता-वाणिज्य, रूपवास-भरतपुर	क्रम संख्या 247 पर नाम कन्हैया लाल के स्थान पर कन्हैया लाल गर्ग संशोधित पढा जावें।


आदेश की शेष शर्तें मूल आदेशानुसार रहेगी।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/सेनि/इति-वाणि/31853/2018-19  
प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

दिनांक- 11/2/19

- 1 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-माध्यमिक,
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)स्कूल शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 सम्बन्धित संस्था/प्रधानाचार्य/सम्बन्धित व्याख्याता
- 7 रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर